UPBS120003042019

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 227/2019

सूरत बनाम लालमती आदि

<u>11.05.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 38 ग 2 पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 38 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है और मुकदमे में नम्बर का विवाद है। बिना सर्वे मैप के विवादित नम्बर का लोकेशन स्पष्ट नहीं होगा और न ही प्रभावकारी डिक्री पारित हो सकती है। ऐसी स्थिति में विवादित नम्बरान की पैमाइश जरिए अदालत अमीन कराया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र 38 ग 2 पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 38 ग 2 के माध्यम से विवादित भूमि की सर्वे रिपोर्ट एवं नक्शा जरिए अदालत अमीन मंगवाये जाने की याचना की गयी है। न्यायालय की राय में वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु मौके का सर्वे मैप जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 38 ग 2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 38 ग 2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थनापत्र 38 ग 2 पर अंकित तथ्यों के आलोक में मौके पर नियमानुसार पैमाइश करके अपनी आख्या नियत तिथि तक दाखिल करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार अमीन रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान बस्ती।